न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 21/20 सन् 2020

GCMS NO-2020/00140

बउनवानी:—घीसी पुत्री नाथू माली निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 835 निर्णय दिनांक 17.09.2020 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री उमा शंकर शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री तोफीक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक **06.04.2021**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 835 निर्णय दिनांक 17.09.2020 वाके ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पूर्वज रोडू माली के दो पुत्र प्रतापा व रामचन्द्र माली थे तथा प्रतापा के दो पुत्र श्योजी व गणेश थे जो लाओलाद फोत हुऐ थे इसी प्रकार रामचन्द्र माली के दो पुत्र ग्यारसा व नाथू थे जिनमे से ग्यारसा अविवाहित लाओलाद फोत हो चुका था एवं नाथू की एक मात्र वारिस अपीलान्ट की पुत्री घीसी थी। इस प्रकार श्योजी,गणेश पिसरान प्रतापा अविवाहित लाऔलाद फोत होने के पश्चात वंशवृक्ष के अनुसार अपीलान्ट ही श्योजी, गणेश पिसरान प्रतापा की जीवित उत्तराधिकारी होने के कारण उनके खाता संख्या 146 व 147 की विरासत का अपीलान्ट का नाम नामा0 के कॉलम संख्या 16 में पटवारी द्वारा दिनांक 24.8.2017 को भरा गया जिसकी जॉच गिरदावर द्वारा दिनांक 26.6.2018 को मजमे आम मे की जाकर अंकन सही पाये जाने पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया गया जिसको तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा यह अंकित करते हुए निरस्त कर दिया कि सहवन से गलत दर्ज होने के कारण निरस्त किया जाता है। यह तर्क भी दिया कि विपक्षी द्वारा नामा0 तस्दीक करने के [illegible] पर अपीलान्ट द्वारा मुख्यमंत्री सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत की गयी थी [illegible] राज होकर विपक्षी द्वारा यह अंकन किया गया है। यह तर्क भी [illegible] आदेश जैर अपील मे के विरूद्व अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत [illegible] अपीलान्ट स्वीका[illegible] आदेश जैर अपील को निरस्त करने (नामा0 संख्या 835 [illegible] कि खारिज किया ग[illegible]को स्वीकार किये जाने) बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:49:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मृतक श्योजी,गणेश पिसरान प्रतापा की विधिक वारिसान होने के बाबत कोई दस्तावेजी सबूत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नही किया है जिसके अभाव मे श्योजी,गणेश की एक मात्र वारिस अपीलान्ट ही हो कहना उचित नही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि पटवारी हल्का द्वारा नामा0 के कॉलम संख्या 16 में अपीलान्ट के नाम मृतक श्योजी,गणेश पिसरान प्रतापा की विरासत दर्ज की गयी है जिसकी जॉच भी आईएलआर द्वारा की जाकर अंकन सही होना पाया गया है तो फिर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा उक्त आदेश को सहवन से गलत दर्ज होना अंकित करते हुए निरस्त क्यो किया गया है। यदि उक्त नामा0 सवहन से गलत दर्ज हो गया तो सही नाम से दर्ज करवाने हेतु संबंधित पटवारी, आईएलआर को निर्देशित कर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाना चाहिए था। वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अपीलान्ट के नाम से भरा गया उक्त नामा0 विधिसम्मत प्रतीत होता है किन्तु तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर दिये एवं हल्का पटवारी व आईएलआर से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लिया बिना ही नामा0 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसलिए प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक श्योजी व गणेश पिसरान प्रतापा के विधिक वारिसान की पूर्ण जॉच करते हुए वंशवृक्ष की पुष्टि कर पर्याप्त कारण अंकित करते हुए एवं अपीलान्ट के अतिरिक्त अन्य कोई ओर भी विधिक वारिस हो तो उनको भी सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:49:22 IST
Reason: SelfAttested